रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 950] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 2001/पौष 10, 1923
No. 950] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 2001/PAUSA 10, 1923

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2001

का.आ. 1283(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2001 है;

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 की अनुसूची 5 में :—

(i) स्तंभ (1) में, क्रम संख्यांक 7 को उसके क्रम संख्यांक 6 के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा;

(ii) स्तंभ (5) में, इस प्रकार पुन: संख्यांकित क्रम संख्यांक 1, 3, 4, 5 और 6 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमश: निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् दो वर्ष"।

[फा.सं. 16(1)/96-ओसी]

सी. विश्वनाथ, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 भारत के राजपत्र असाधारण में का.आ. 670(अ) तारीख 19 जुलाई, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2001

S.O. 1283(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6, 8, and 25 of Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2001.

1. (1) These rules may be called the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In schedule V to the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2000.—

(i) in column (1) serial number 7 shall be renumbered as serial number 6 thereof;

(ii) in column (5), against serial numbers 1, 3, 4, 5 and 6 as so renumbered, for the existing entries, the following shall respectively be substituted, namely :—

"Two years after commencement of these rules".

[F.No. 16/1/96-OC]

C. VISWANATH, Jt. Secy.

Foot-note : — The Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2000 were published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 670(E) dated the 19th July, 2000.

4021 GI/2001

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode